



Shivam Verma <shivamverma38075@gmail.com>

Objection to communication dated 22.12.2025 of DIOS Mirzapur.

1 message

Shivam Verma <shivamverma38075@gmail.com>
To: hearingcourts8.upic@up.gov.in, rmsa.mirzapur@gmail.com

6 January 2026 at 08:07

**BEFORE THE HON'BLE STATE INFORMATION COMMISSION, LUCKNOW,
UTTAR PRADESH****Appeal Registration No:** A-20251000956**File Number:** S08/A/1475/2025**Case Subject:** Shivam Verma vs. PIO, DIOS Mirzapur**REJOINDER AND WRITTEN OBJECTION***(In response to the PIO's communication dated 22.12.2025)***TO THE HON'BLE STATE INFORMATION COMMISSIONER,**

The Appellant, Shivam Verma, submits the following objections against the incomplete and legally erroneous information provided by the Respondent (PIO, DIOS Mirzapur):

1. Reference to Previous Order (14.11.2025) The Hon'ble Commission had directed the PIO to provide "**point-wise certified information**" within 15 days. The PIO's response dated 22.12.2025 is not only delayed but willfully defies this direction by denying 75% of the information sought.

2. Illegal Denial under Section 2(f) The PIO's claim that information for Points 2, 3, and 4 cannot be provided because the school is a "private institution" is a gross misinterpretation of the RTI Act.

- **Legal Mandate:** Under **Section 2(f)**, "information" includes any record relating to a private body which can be **accessed by a public authority under any other law**.
- **Regulatory Power:** As the DIOS, the Respondent is the statutory regulator for all recognized schools in Mirzapur. Under the **U.P. Intermediate Education Act, 1921**, the DIOS has the inherent power to inspect salary registers, appointment letters, and termination records of any recognized school to ensure compliance with state norms.

3. Obligation Regarding Minimum Wages The DIOS has a mandatory duty to ensure that private institutions under their monitoring comply with the **Minimum Wages Act**. By refusing to provide "Wage Documents" and "Salary Justification," the PIO is shielding the institution from its failure to pay the government-prescribed wages for skilled workers.

4. Concealment of Public Interest The Appellant sought the "Official mechanism for claiming arrears" (Point 5). The PIO's failure to address this point indicates a lack of transparency regarding the office's own grievance redressal procedures.

PRAYER FOR RELIEF: In view of the above facts, the Appellant prays that the Hon'ble Commission:

1. **Direct the PIO** to exercise their statutory power to fetch the requested records (Points 2, 3, & 4) from the institution and provide them to the Appellant immediately.
2. **Impose a Penalty of ₹25,000** on the PIO, Smt. Devki Singh, under **Section 20(1)** for the malafide denial and the 5-month delay since the original application (14.07.2025).
3. **Recommend Disciplinary Action** against the PIO and FAA for repeated failure to comply with statutory timelines.

Verification: I, Shivam Verma, declare that the contents above are true and correct to the best of my knowledge.

Date: 06.01.2026

Place: Mirzapur

Appellant: Shivam Verma

Mobile: 6386936345

श्री शिवम वर्मा

बनाम

ज0सू0अ0 कार्या0 जिला विद्यालय निरीक्षक, मीर्जापुर।

समक्ष- श्री राजेन्द्र सिंह, मा0 राज्य सूचना आयुक्त, उ0प्र0।

आदेश

पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पुकार कराई गई। अपीलार्थी वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित है। विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

आज नियत सुनवाई तिथि पर अपीलार्थी द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि विपक्षी जनसूचना अधिकारी द्वारा अभी तक वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

उक्त स्थिति में विपक्षी जनसूचना अधिकारी/कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, मीर्जापुर को अपीलार्थी के आवेदन पत्र की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ नोटिस निर्गत की जाए कि वह सम्बन्धित जनसूचना अधिकारी को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को उनके आवेदन पत्र के क्रम में बिन्दुवार प्रमाणित सूचनाएं अगले 15 दिन में उनके आवेदन में दिये गये पते पर पंजीकृत डाक/ई-मेल या व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें तथा अगली सुनवाई तिथि पर सूचना की प्रति एवं प्रेषण का साक्ष्य आयोग के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के तहत नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकता है।

वाद वास्ते सुनवाई दिनांक 30.01.2026 को पेश हो।



(राजेन्द्र सिंह)

राज्य सूचना आयुक्त

14.11.2025

जिला विद्यालय निरीक्षक मीरजापुर।

पत्रांक: जनसूचना / 7167-68

/2025-26

दिनांक: 22-12-2025

श्री शिवम वर्मा
पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद
निवासी गिरधर का चौराहा
मीरजापुर।

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके आनलाईन जनसूचना आवेदन दिनांक 14.07.2025 के द्वारा लायन्स पब्लिक स्कूल, भुजवा की चौकी से सम्बन्धित अपनी पूर्व के विभिन्न आई0जी0आर0एस0 शिकायतों जिसका निस्तारण कार्यालय के विभिन्न पत्राकों के माध्यम से पूर्व में किया जा चुका है से सम्बन्धित बिन्दुवार सूचना की माँग की गयी है।

बिन्दु संख्या 01- कार्यालय स्तर पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाता है इस कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष के रूप में श्री माया राम, जिला विद्यालय निरीक्षक, मीरजापुर दिनांक 13.12.2024 से कार्यरत है।

बिन्दु संख्या 02, बिन्दु संख्या 03 एवं बिन्दु संख्या 04 की सूचना एक नीजी मान्यता प्राप्त संस्था है जो सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 2-ज के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी के रूप में परिभाषित नहीं है।

अतः अधिनियम के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित नहीं किया जा सकता।

यदि उक्त नियमक कोई आपत्ति हो तो निम्नलिखित अपीलीय प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 19 (1) के अन्तर्गत अपील दाखिल की जा सकती है।

- संयुक्त शिक्षा निदेशक, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर
भवदीय

(माया राम)

जिला विद्यालय निरीक्षक

मीरजापुर।

पृ0सं0/जनसूचना/

/2025-26 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- पीटासीन अधिकारी, राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

जिला विद्यालय निरीक्षक
मीरजापुर।